10

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

ा नम्बर 73/2023 दायर दिनांक–15.06.2023

1. चुन्नीलाल पुत्र सालगाराम
2. जयराम पुत्र सालगाराम
3. झाबर पुत्र सालगाराम
4. झिमकोरी पुत्री सालगाराम
5. मनकोरी पुत्री सालगाराम
6. मनकोरी देवी पत्नी स्व0 रिछपाल पुत्रवधु सालगाराम
7. महेश पुत्र रिछपाल
8. निर्मला पुत्री रिछपाल
9. सरिता पुत्री रिछपाल
10. सुनिता पुत्री रिछपाल
11. प्रियंका पुत्री रिछपाल समस्त जाति जाट निवासी तुर्काणी जोहड़ी, खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादी

वकील वादी :– श्री विधाधर जाखड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–31.07.2024

वादीयागण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम तुकार्णी जोहड़ी में खाता संख्या 85 नया खाता संख्या 106 की भूमि खसरा नम्बर 254, 257, 258, 259, 264, 265 रकबा क्रमशः 0.06, 0.10, 0.10, 0.27, 0.69, 0.77 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.99 है0 स्थित है जिसमें सालगाराम के पांच पुत्र चुन्नीलाल जयराम झाबरमल, रिछपाल, जगदीश का हिस्सा था। जगदीश नाऔलाद फौत हो गया इस कारण जगदीश का हिस्सा चारों भाइयों के नाम दर्ज हो गया। रिछपाल फौत हो गया है। इसलिए रिछपाल का हिस्सा उसकी पत्नी, पुत्र व पुत्रियों के नाम दर्ज किया जावे।

खाता संख्या 92 की भूमि खसरा नम्बर 266, 267, 268, 269, 270, 271, 297, 298, 503/297 रकबा क्रमशः 0.04, 0.40, 0.05, 0.09, 1.06, 0.71, 0.38, 0.62, 0.03 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 3.38 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि का खातेदार जगदीश नाऔलाद फौत हो गया है। उसकी खातेदारी उसकी बहिन और भाइयों के नाम दर्ज होनी चाहिए इसलिए जगदीश का हिस्सा 4/21 में वादीगण को बराबर बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

राजस्व ग्राम तुर्काणी जोहड़ी में स्थित भूमि खाता संख्या 32 के अंतगर्त भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 0.55 है0 तथा खसरा नम्बर 294 रकबा 1.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.58है0 में सालगाराम के सभी वारिसों के नाम दर्ज है। जगदीश नाऔलाद फौत हो गया है। उसके उत्तराधिकारी सालगाराम के शेष पुत्र व पुत्रियां है। इसलिए जगदीश के हिस्से 4/21 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि मृतक जगदीश के हिस्से की भूमि का वादीगण को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण विधि अनुसार अपने खातेदारी काश्तकारी की भूमि को शांति से काश्त करने दे उसमें किसी प्रकार की मजालखत बेजा नही करें।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से झाबर पुत्र सलगाराम के चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2075–78 प्रदर्श 02 जमाबंदी संवत् 2075–78 प्रदर्श 3 जमाबंदी सवत् 2075–78 प्रदर्श 04 मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 05 मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 06 सपथ पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जगदीश पुत्र सालगाराम फौत हो चुका है जिसके विधिक वारीसान वादीगण है। अतः जगदीश पुत्र सलगाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर उसके हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम तुकार्णी जोहड़ी में स्थित भूमि खाता संख्या 92 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 266, 267, 268, 269, 270, 271, 297, 298, 503/297 रकबा क्रमशः 0.04, 0.40, 0.05, 0.09, 1.06, 0.71, 0.38, 0.62, 0.03 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 3.38 है0 तथा भूमि खाता संख्या 32 के अंतगर्त भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 0.55 है0 तथा खसरा नम्बर 294 रकबा 1.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.58है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से खातेदार जगदीश पुत्र सालगाराम हिस्सा 4/21 का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके हिस्से 4/21 मे से वादीगण 01 लगायत 05 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का तथा वादीगण 06 लगायत 11 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती व निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 73/2023

(चुन्नीलाल बनाम लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार)

अंतिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम तुकार्णी जोहड़ी में स्थित भूमि खाता संख्या 92 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 266, 267, 268, 269, 270, 271, 297, 298, 503/297 रकबा क्रमशः 0.04, 0.40, 0.05, 0.09, 1.06, 0.71, 0.38, 0.62, 0.03 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 3.38 है0 तथा भूमि खाता संख्या 32 के अंतगर्त भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 0.55 है0 तथा खसरा नम्बर 294 रकबा 1.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.58है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से खातेदार जगदीश पुत्र सालगाराम हिस्सा 4/21 का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके हिस्से 4/21 मे से वादीगण 01 लगायत 05 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का तथा वादीगण 06 लगायत 11 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.07.2024 को जारी की गई।

हवाई सिंह 31/7/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00